ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 102-103

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका

आलोक पाठक

शोध अध्येता– समाज शास्त्र विभाग, ज0रा0दि0वि0, चित्रकूट (उ0प्र0) भारत

Received-20.04.2023, Revised-26.04.2023, Accepted-30.04.2023 E-mail: akpathak9125@gmail.com

सारांशः ***भारतीय समाज की शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की भूमिका बहुत पुरानी है जिसके स्वरूप के साथ–साथ बदलाव भी देखने को मिलता रहता है लेकिन ग्रामीण विकास में इसका अहम योगदान रहा है। गांधी जी का कहना था कि "भारत की आत्मा गांवो में बसती है।" स्वतन्त्रता से पूर्व उन्होंने पंचायती राज की कल्पना करते हुये कहा था कि सम्पूर्ण गांव में पंचायती राज होगा उसके पास पूरी सत्ता और अधिकार होगे। अर्थात् सभी गांव अपने–अपने पैरों पर खडें होंगे अपनी जरूरतों की पूर्ति उन्हें स्वयं करनी होगी। यही ग्राम स्वराज में पंचायती राज हेतु भूमिका है। कहा जाता है कि गांवों की प्रगति को हिन्दुस्तान की प्रगति से जोड़ दिया। इसका मकसद था सत्ता की डोर को देश की संसद से लेकर गांवो की इकाई तक जोड़ना।***

कुंजीभूत शब्द– विकास, ग्रामीण, पंचायत, सरकार, कल्पना, क्रार्यक्रम, योजना, पुरातनकाल, राजप्यवस्था, लोकतांत्रिक, स्वशासन।

भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया पुरातनकाल से किसी न किसी रूप में चलती आ रही है। अगर हम भारत के अतीत में झांकें तो हमारे यहां प्राचीन काल से ही पंचायती राजप्यवस्था अस्तित्व में रही हैं, भले ही इसे विभिन्न नाम से विभिन्न काल खंडो में जाना जाता रहा हो। भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद में 'सभा' एवं समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तषासी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। रामायण, महाभारत महाकाव्यों के काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थे। गांव के पंच लोगों द्वारा स्थनीय जन से लेकर बसूल कर राजा का सहयोग करना वर्णित है।

मनुस्मृति में– ग्राम के प्रशासन में स्वशासन का उल्लेख है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी कम से कम 100 परिवार तथा अधिक से अधिक 500 परिवार के एक गांव की रचना का उल्लेख किया गया है। भारत में गांव के विकास में पंचायती राज व्यवस्था का निंरतर प्रचलन एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है। पंचायते आमतौर पर कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों वाली चयनित परिषदें थीं। इस स्थानीय परिषदों की संरचना और कार्यो में समय–समय पर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। मुगल षासन काल में पंचायतों को नियंत्रित स्थानीय निकाय बना दिया गया था, जो कर वसूल कर उनके व्यापारिक कार्यो में मदद् कर रही थीं। बिट्रिश शासन काल के दौरान विभिन्न आयोगो जैसे रॉयल कमीशन, साइमन कमीशन आदि ने स्थानीय निकायों की शक्तियों ने विस्तार करने की सिफारिश की। फिर भी, औपनिवेशिक शासन के तहत स्थानीय स्वशासन कभी भी स्वतंत्र नहीं थे और राज्य प्राधिकारी के नियंत्रण में थे। महात्मा गांधी ही पंचायत राज के पक्षधर थे। और सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत को पारंपारिक ग्राम पंचायतो के स्थान पर एक अलग प्रकार का ग्रामीण स्थानीय स्वशासन विरासत में मिला। महात्मा गांधी को पर्याप्त अधिकार देना चाहते थे ताकि वे स्वराज या स्वशासन हासिल कर सकें।

अम्बड़ेकर का मानना था कि– "ग्राम पंचायतों को सफल होने की बहुत कम संभावना थी क्योंकि भारत में गांव जाति ग्रस्त थे।" जब संविधान बनाया जा रहा था, तब ग्राम पंचायतों की संविधान के राज्य नीति (अनुच्छेद 40) निदेशक सिद्वान्तों में रखा गया और राज्यों द्वारा पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार दिया जाना था जिससे वे स्वशासन इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बन सकें। इस स्वराज के सपनों को पूरा करने के लिये पूरे देश में विकेन्द्रीकरण के माध्यम से पंचायतों का गठन किया गया। जिससे गांधी जी के सपनों को पूरा करने व ग्रामीण सशक्तीकरण के सपनो को धरातल पर उतारने की झलक साफ देखी जा सके। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया जो ग्रामीण आबादी की समस्याओं के अध्ययन के लिये बनी थी। इस कमेटी की सिफारिश पर इन संस्थाओं का नाम पंचायत राज रखा गया। जिसके तहत हर पांच साल में पंचायतों के नियमित चुनाव होगे और इस तरह कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी थे जिसने इस संस्थान को मजबूती प्रदान की। 73 वे और 74 वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज और नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। आज राज्य स्तरीय प्रणाली आरम्भ की गई जिसमें ग्राम सभा सबसे उच्च संस्था, पंचायत समिति मध्य में और सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया गया। भारतीय लोकतांत्रिक संरचना में शासन के तीसरे स्थानीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक है जिसमें अपेक्षा की गई थी कि स्थानीय जन सह भागिता के माध्यम से गांवो का विकास किया जाएगा। 73 वें संविधान संशोधन में जमीन स्तर पर जन संसद के रूप में ऐसी सशक्त ग्राम सभा की परिकल्पना की गई है। जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाब देह हो। इस तरह सुधारें के दौर से गुजरती हुई पंचायती राज व्यवस्था में पहुच गई।

आज हम सभी जानते है कि भारतीय अर्थव्यस्था की नीवं कृषि पर निर्भर है। और इसमें किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसान ही है जो सालभर दो या कहीं कहीं पर तीन फसले उपजा पाने में कामयाब भी होते है लेकिन ये गॉव जितने छोटें दिखते है उनकी समस्याएं उतनी ही विकराल और बड़ी है। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, बाढ़, अकाल, खराब स्वास्थ सेवाओं से हमारे गांव लंबे समय तक बेहाल रहे है। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास से सफलता हो सकती है जब पंचायते इसे मनोवीत से लागू करें। ग्राम पंचायते विभिन्न समितियों के माध्यम से गांव में विकास कार्यो को संचालित करती है। जैसे नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, अनेक समितियां होती है जो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दो की देख रेख करती है। यदि देखा जाय तो ग्राम पंचायत के काम इनके अधिकार क्षेत्र, ग्राम विकास सम्बन्धी अनेक कार्य है। जैसे कृषि, पशुधन, युवा कल्याण,

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- II, Issues-28, YEAR- April-June-2023

चिकित्सा रख–रखाव आदि महत्वपूर्ण मुद्दे है जिसके लिये उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर नही होना पड़ता है। गांव के स्वच्छ पेयजल, खेती के लिये पानी व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण काम चुनौति पूर्ण कार्य है। जिस कार्य के लिये पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मनरेगा के माध्यम से पोखर, तालाब, कुआ का निर्माण किया जा रहा है जिसमें इस तरह के भयावह हालात नहीं आए। गांवों के विकास व सुरक्षा हेतु न्याय ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 केन्द्र सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार पंचायत स्तर पर ही ग्रामन्यायलय की स्थापना भी की गई। जिससे गरीब, ग्रामीण को बिना दूर व न्यायाल के चक्कर न लगाने पड़े। कम खर्चमें उन्हें शीघ्र न्याय मिल सके। इन क्षेत्रों में भी पंचायतों की प्रमुख भागीदारी रहती है। यह न्यायलय सिर्फ खेती नल तालाब की ही मद्द नहीं करती है। इन्हे आत्मनिर्भर गांव में बने हस्तषिल्प को विश्व मंच तक पहुचाने का भी कार्य करती है। आज सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं है जो गांवों को आत्मनिर्भर बना रही है। साथ ही सरकार की बड़ी योजनाएं स्किलइंडिया, स्टैडअप इंडिया को जन–जन तक पहुंचाने में पंचायतों की भागीदारी जरूरी हो गई है। ग्राम पंचायत व नगर पालिकाओं को अनुदान के रूप में रूपये में आंवटित किये गए है। जो 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थानों की मद्द के लिये नई योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का भी प्रस्ताव किया गया है।

आज पंचायतों के माध्यम से स्वच्छ भारत अभियान का असर देशव्यापी पूरी दुनिया में देखा। 60 प्रतिशत भारतीय जो खुले में शौच कर रहे थे लेकिन पंचायतों ने विभिन्न जन–जागृति अभियानों के माध्यम से गांवों में उल्लेखनीय कार्य किया है। जिसका यह नतीजा है कि घर–घर शौचालय है। स्वच्छ पेयजल ईंधन की दिशा में उज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रोजगार से जोडना। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर गांव में स्कूलों का सफलता पूर्वक संचालन हो रहा है। इन क्षेत्रों में भी पंचायतों की सफल भूमिका है। आज इस पंचायत के माध्यम से महिलाओं को स्वालंबन बनाया जा रहा है साथ ही महिला सरपंचो को सत्ता की बागडोर सभालने को दिया जा रहा है। जिसके कारण गांव में महिलाओं की भूमिका मजबूत होने से माहौल बेहतर हुआ है। और लडकियों के प्रति भेदभाव के रवैये की घटनाओं में भी कमी हुई है। देश के कई गांव में तो पढे लिखे व हुनरमंद लोगों के हाथ में दे दिया जा रहा है। विहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे जगहों में मल्टी नेशनल कंपनी भी गांवों में खोलकर गांव के लोगों को रोजगार मिल जा रहे है।

आज सरकार की तरफ से मिली मद्द व ग्राम पंचायतों को हाईटेक करना डिजिटल इंडिया बनाने की दिशा में अहम कदम है। जिससे लोगों को पंचायत स्तर पर ही ई–गवर्नेस की सुविधायें मिल सके। आज इन्हें ट्रेनिग देकर पंचायत भवन में ही अलग एक कक्ष बनाया गया है। जिसमें पंचायत से सम्बन्धित विकास हेतु कितना पैसा आया कहां खर्च करने है। यह सभी जानकारी गांव को मिल सके साथ ही कौन–कौन काम होने है मनरेगा द्वारा कितने दिनों का काम दिया जायेगा। शिक्षित लोगों की ई लर्निंग, ई डिजिटल के माध्यम से उन्हें उनकी योग्यता व कार्य कुशलता के द्वारा कार्य दिए जाये।

ई–पंचायत सषक्त भारत की दिशा में एक कदम बढा रहा है जिससे देश से भ्रष्टाचार मुक्त समाज, स्वालम्बी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में से एक अनोखी पहल है जिसके द्वारा देश की 2.45 लाख पंचायतों के कार्यो का स्वचालन है। आज गांव के विकास में पंचायतों की भूमिका सीमित नहीं है उन्हें उनके अधिकार और धन दोनों चीजे मिल रही है जिसका असर देश हर नागरिक देख सकता है। आज हम जब भी गांव की ओर जाते है तो वहां की फिसलती चौडी सडके, बिजली जो 24 घण्टे उपलब्ध है, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, अस्पताल, स्कूल देखकर आंखे एक टक देखती ही रह जाती है। गांव पक्के मकान, लहलहाते खेत, को आप देखकर आपके अन्दर ईर्श्या करने लगेगे कि हम ऐसे जागरूक गांव वाले देश में है जहां सिर्फ पंचायत नाम ही नहीं रखा गया है। पंचायत वे काम कर रही है जो यर्थात और सत्यता को दर्शाता है। यदि इन्हे आप देखना चाहते है जो मध्य प्रदेश, छतीसगढ, विहार, राजस्थान, हरियाणा आदि गांव को देख कर अपना सा अनुभव कर सकते है।

आज पंचायते गांव की महिलाओं को सरपंच बनाकर गांव में खुशहाली भी लाई है। जिससे अंधविश्वास, रूढ़ियों को भी तोड़ा है। साथ ही समाज को एक सूत्र में बाधने का काम किया है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा गांव के विकास की खबर तो सूना व देखा जा रहा है। लेकिन इन पंचायतों को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ। इसलिये पंचायतों से उनकी तुलना न करें। हाँ गांव का विकास हुआ। पर अभी इसे लंबा सफर तय करना है। खासतौर पर उन राज्यों को जहां जनसंख्या अधिक है। पूर्वोतर भारत के राज्यों में तो अभी बहुत कम विकास हुआ है। पंचायत वहां पर सही तरीकें से काम नही कर रही है। सरकार द्वारा चलायी योजनाओं पंचायत आफिस तक रह जा रही है। वहां के अधिकारी उन्हें पूर्ण रूप से लागू नहीं करते है। जिससे उनके मत द्वारा आयी धनराशि भी वापस चली जाती है। यदि ग्राम विकास के लिये पंचायत के अधिकार को जाने आवटित धनराशि के प्रति सकरात्मक असर द्वारा गांवो का विकास करें गांव में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, शौचालय जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी न दे, उन्हें करवाने का प्रयास करे तभी गांव का विकास हो पायेगा। साथ ही पंचायत की भूमिका सही मायने में पूर्ण मानी जा सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सिद्वार्थ झा, कुरूक्षेत्र, दिसम्बर 2016.
2. डॉ0 जी नरेन्द्र कुमार, डॉ0सी0 कथिरेसन कुरूक्षेत्र सितम्बर 2021.
3. ए0आर0देसाई, भारतीय ग्रामीण समाजषास्त्र पृश्ठ–224.

*****